

आ0स0-11/विधि-2-02/2012-

पटना, दिनांक-

आदेश

चम्पारण प्रमोद, मोतिहारी के अंतर्गत परकोपाईन सेट निर्माण हेतु महसूल तनुज इन्टरप्राइजेज वेलकनवा, मोतिहारी से एकरारनामा संख्या- 75 एस0वी0टी0/2011-12 किया गया था । उक्त परकोपाईन सेट निर्माण कार्य को विशिष्ट के अनुरूप नहीं कराये जाने के आरोप को जांच निगरानी विभाग के द्वारा पों गई एवं जांच प्रतिवेदन सनोर्पित किया गया । उक्त जांच प्रतिवेदन में निम्न विशिष्ट के परकोपाईन निर्माण संबंधी आरोप को सही पाया गया है एवं इसके लिए विभागीय पदाधिकारियों के साथ संवेदक को भी दांपी माना गया है ।

संवेदक में तनुज इन्टरप्राइजेज से विभागीय पत्रांक- 7386 दिनांक- 26.09.12 के द्वारा स्पर्टीकरण पूछा गया । संवेदक में तनुज इन्टरप्राइजेज को द्वारा अपने स्पर्टीकरण में कार्य विशिष्ट के अनुरूप होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है । इस कारण स्पर्टीकरण मान्य नहीं पाया गया ।

अतः निगरानी विभाग के जांच प्रतिवेदन के आधार पर विहार टीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिक- 11 के तहत संवेदक में तनुज इन्टरप्राइजेज (निबंधन संख्या- 93/2009 (द्वितीय श्रेणी) को काली सूची में डाला जाता है ।

ह0/-

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञाप संख्या-

पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिनिधि महसूल तनुज इन्टरप्राइजेज, पार्टनर- श्री रतन कुमार सिंह, ग्राम- वेलकनवा, पारस- मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, पिन कोड- 845401 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञाप संख्या- 3/नन

पटना, दिनांक- 24.01.13

प्रतिनिधि प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/ /सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, सड़ निर्वरण, योजना एवं मो0 पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल- 2/3/4, पटना/ निदेशक, कय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(धीरेन्द्र कुमार)

(धीरेन्द्र कुमार)

अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

24/1/13